विधान सभा तारांकित प्रश्न कमांक 115 के प्रश्नांश क का परिशिष्ट–1

मध्य प्रदेश
स्वास्थ्य क्षेत्र निवेश प्रोत्साहन योजना, 2016

- **योजना के उद्देश्य :**
  - ✓ मल्टी एवं सुपर स्पेशिएलिटी अस्पतालों की स्थापना
  - ✓ चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना
  - ✓ स्पेशिएलिटी नर्सिंग कोर्सेस में पोस्ट बेसिक डिप्लोमा प्रारंभ करना
- **किन प्रोजेक्टस को लाभ मिलेगा :**
  - ✓ नये प्रोजेक्ट्स एवं पूर्व से संचालित प्रोजेक्ट्स का विस्तार करने पर।
  - ✓ ऐसे प्रोजेक्ट जिनका वाणिज्यिक संचालन दिनांक 22/09/2012 के बाद प्रारंभ हुआ हो।
  - ✓ ऐसे प्रोजेक्ट जिनका विस्तार दिनांक 22/09/2012 के बाद किया गया हो।
- **योजना के तहत प्रेात्साहन :**
  - ✓ **पूंजीगत सबसिडी** –कुल लागत का 25 प्रतिशत की सीमा में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में अधिकतम रु **5** करोड़ एवं अन्य शहरों/ग्रामीण क्षेत्रों में रु **3** करोड़।
  - ✓ **ब्याज सबसिडी** –अधिकतम रु 30 लाख तक।
  - ✓ **प्रशिक्षण सबसिडी** –वास्तविक व्यय का 25 प्रतिशत किंतु अधिकतम रु 25000 प्रथम दो वर्षो के लिए।
  - ✓ **स्पेशिएलिटी नर्सिंग प्रशिक्षण सबसिडी** –रु 25000 प्रत्येक सफल प्रशिक्षित उम्मिदवार के लिए प्रथम तीन शैक्षणिक सत्रों के लिए।
- **रियायति दर पर जमीन का आवंटन –**
  - ✓ रियायति दर पर जमीन का आवंटन मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग के द्वारा जारी जमीन आवंटन नीति, दिनांक 30/05/2013 के तहत किया जाएगा।

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

(रा... मुंशी)
संयुक्त संचालक

- ✓ नगर निगम/पालिक क्षेत्र के अंदर तथा बाह्य क्षेत्रों के लिए भिन्न भिन्न मापदण्ड।
- ✓ चिकित्सा महाविद्यालयों को एक रुपये की प्रिमियम पर जमीन आवंटन किंतु इसके लिए न्यूनतम रु 300 करोड़ का निवेश अनिवार्य होगा।
- ✓ निवेशक को रियायति दर पर जमीन आवंटन होने पर पुजीगत एवं ब्याज सबसिडी की पात्रता नही होगी।
- ✓ चिकित्सालयों में कुल स्वीकृत शैंय्याओं का 50 प्रतिशत जनरल वार्ड के लिए आरक्षित करना होगा।

• **आवेदन की प्रकिया–**

- ✓ विधिवत रुप से पूर्ण आवेदन निर्धारित प्ररुप में संबंधित विभाग का प्रस्तुत करना होगा।
- ✓ प्राप्त आवेदन का परीक्षण उपरांत विभागीय समिति द्वारा अनुशंसा के आधार पर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय साधिकार समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

(राकेश मुंशी)
संयुक्त संचालक
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग